बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 2/1988 पटना, दिनांक 24-11-2016

ग्रा.वि.7(सा0वा0)-12/2013

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत लगाये गये वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में ।

महाशय,

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 43(ई0)/प0व0, पटना-15 दिनांक 28.01.2013 एवं संकल्प संख्या - 178 (ई0), दिनांक 29.03.2016 के आलोक में सूचित करना है कि यदि संबंधित स्थल वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित वन है तो प्रयोक्ता एजेंसी (पावरग्रिड तथा अन्य) को स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा और सक्षम प्राधिकार से अनुमति उपरांत ही वृक्षों का पातन किया जा सकता है । संबंधित स्थल वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत वन की श्रेणी में है अथवा नहीं, के संबंध में जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है । यदि संबंधित स्थल के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि उस पर वन संक्षरण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता है तो वैसी परिस्थिति में निम्न कार्रवाई अपेक्षित है:-

I. प्रयोक्ता एजेंसी (पावरग्रिड तथा अन्य) के प्रतिनिधि एवं मनरेगा कनीय अभियंता द्वारा स्थलीय जॉच कर योजना में प्रभावित होने वाले पौधों/वृक्षों को चिन्हित किया जाय और उनकी प्रजाति एवं गोलाई की सूची तैयार की जायगी ।
II. मनरेगा की योजना संख्या और वर्ष जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण हुआ, अंकित की जाय ।
III. सड़क/नहर/नदी पर वृक्षारोपण हो तो संबंधित विभाग को सूचित कर अनापत्ति प्राप्त की जाय ।
IV. यदि पौधों को हटाकर इनका प्रतिस्थापन संभव हो तो वन प्रमंडल पदाधिकारी से NOC प्राप्त कर नये स्थल का चयन कर प्रयोक्ता एजेंसी (पावर ग्रिड एवं अन्य) के खर्च पर यह कार्य करवाया जाय ।
V. यदि पौधे बड़े वृक्ष के रूप में हैं और उसका प्रतिस्थापन संभव नहीं है तो वृक्षों को काटने के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी से NOC प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंसी के माध्यम से कटवाकर उसमें प्राप्त काष्ठ को वन विभाग के डिपो में भेजवाना सुनिश्चित किया जाय । वृक्षों की कटाई और ढुलाई आदि का व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा । प्राप्त काष्ठ की ब्रिकी से प्राप्त राजस्व को वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा कोषागार में जमा करवाकर इसकी सूचना जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त को दी जायेगी ।

RK-2016

VI. वृक्षों की कटाई की स्थिति में काटे गये वृक्षों के तीन गुणा पौधों को लगाने एवं उनकी 5 वर्ष सुरक्षा का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर किया जायेगा । क्षतिपूरक वनरोपण के लिए स्थल का चयन उसी पंचायत में किया जायेगा । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन और कार्यान्वयन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के माध्यम से कराते हुए वृक्षारोपण को 5 वर्ष पश्चात् पंचायत को गणना करवाकर हस्तांतरित किया जाएगा ।

VII. उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए आवश्यक आदेश उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत करते हुए उसकी प्रति संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं ग्रामीण विकास विभाग को दी जाय ।

विश्वासभाजन

24/11/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक 291988 पटना 24-11-2016

ग्रा.वि.7(सा0वा0)-12/2013

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 5277 दिनांक 14.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

24/11/2016

सचिव